रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2018/भाद्र 27, 1940
No. 655] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018/BHADRA 27, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 890(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची में, -

(i) कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी 'ग') के पद से सम्बंधित सारणी के स्तम्भ (7) में "टंकण (अंग्रेजी) में 40 शब्द प्रति मिनट और 55 मिनट (हिंदी)" शब्दों और अंको को "40 मिनट (अंग्रेजी) (कंप्यूटर पर)" शब्दों और अंको से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पद से सम्बंधित सारणी के स्तम्भ (7) में "65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिंदी) (मैनुअल टाइपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)" शब्दों और अंकों को "50 मिनट (अंग्रेजी) (कंप्यूटर पर)" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी 'ग') के पद से सम्बंधित सारणी के स्तम्भ (6) में "18 से 27 वर्ष" शब्दों और अंको को "18 से 30 वर्ष" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. ए-12011/1/2011-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 367 (अ), तारीख 18.03.1992;
2. सा.का.नि. 775 (अ), तारीख 25.10.1994;
3. सा.का.नि. 784 (अ), तारीख 31.12.1998; और
4. सा.का.नि. 111 (अ), तारीख 24.02.2014।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2018

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1989, in the Schedule, -

 (i) in column (7) of the Table relating to the post of Court Master (Stenographers Grade 'C'), for the words and figures "40 words per minute in typewriting (English) and 55 mts (Hindi)", the words and figures "40 mts (English) (on computer)" shall be substituted;

 (ii) in column (7) of the Table relating to the post of Stenographers Grade 'D', for the words and figures "65 mts. (English) 75 mts. (Hindi) (on manual typewriter) or 50 mts. (English) and 65 mts. (Hindi) (on computer)", the words and figures "50 mts. (English) (on computer)" shall be substituted;

 (iii) in column (6) of the Table relating to the post of Court Master (Stenographers Grade 'C'), for the words and figures "18 to 27 years", the words and figures "18 to 30 years" shall be substituted.

[F. No. A-12011/1/2011-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Jt. Secy.

Note: Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R 455(E), dated the 20th April, 1989 and subsequently amended vide notification numbers—

(i) G.S.R. 367 (E), dated 18.03.1992;

(ii) G.S.R. 775 (E), dated 25.10.1994;

(iii) G.S.R. 784 (E), dated 31.12.1998; and

(iv) G.S.R. 111 (E), dated 24.02.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.09.22 15:28:24 +05'30'